संख्या- 20-2025-2007-57-1099-44-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2025**

विषय:- **जनपद मीरजापुर में विन्ध्यांचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ तथा उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-11/धर्मार्थ कार्य-2024, दिनांक 15.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों- विन्ध्यांचल नगरीय / ग्रामीण, शिवपुर नगरीय/ग्रामीण, अकोढ़ी, मंगराही, गोपालपुर की कुल भूमि 3.9188 हे० तथा परिसम्पत्तियों की जद में पड़ने वाली सम्पत्तियों की आंकलित धनराशि रू0 18,80,59,102.94 की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों- विन्ध्यांचल नगरीय / ग्रामीण, शिवपुर नगरीय/ग्रामीण, अकोढ़ी, मंगराही, गोपालपुर की कुल भूमि 3.9188 हे० तथा परिसम्पत्तियों की जद में पड़ने वाली सम्पत्तियों की आंकलित धनराशि रू0 18,80,59,102.94 मात्र के सापेक्ष पूर्णांकित धनराशि रू0 1880.59 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च , 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति पर सहमति जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, मीरजापुर स्वयं उत्तदरदायी होंगे।

(6) जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, मीरजापुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,80,59,000 (रुपये अठारह करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक-** 4250008001000 जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, मॉ विन्ध्यवासिनी मंदिर, मॉ अष्टभुजा मंदिर, मॉ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **अशासकीय संख्या-E-5-60-X-2025-26, दिनांक: 21-8-2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-20-2025-2007-57-1099-44-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, विन्ध्यांचल धाम मण्डल, मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी/मीरजापुर/लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/मीरजापुर/लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।